

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29112025-268064  
SG-DL-E-29112025-268064

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 359]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 340
No. 359]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYNA 3, 1947	[N. C. T. D. No. 340

---

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

फा. सं. 28/Addl.LC/Exemp/S&E,Act./2021/4304-4310.—“दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 4 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.No.28/Addl.LC/Exemp/S&E, Act./2021/2438 दिनांक 07 अगस्त, 2025 को अधिकमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो किए गए हैं या करने से चूक गए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में आगे संशोधन करते हैं, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, अर्थात:-

उक्त अनुसूची में "स्थापना आदि" के अंतर्गत क्रम संख्या 300 पर विद्यमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

प्रविष्टि संख्या	दुकानों/प्रतिष्ठानों का विवरण	दिल्ली दुकान एवम् संस्थापन अधिनियम, 1954 की धाराएं जिनके तहत छूट दी गई है।	स्थितियाँ
301	शराब की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान	दिल्ली दुकान एवम् संस्थापन अधिनियम, 1954 की धारा 14, जहाँ तक यह, कालम 4 में बतायी गई शर्तों के अधीन महिलाओं के रोजगार से जुड़ा है।	<p>1. नियोक्ता को गर्मी के मौसम में रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच और सर्दी के मौसम में रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे के बीच काम पर रखने के लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेनी होगी।</p> <p>2. नियोक्ता को काम करने के लिये सुरक्षित हालात पक्के करने होंगे, जैसे दुकान या संस्थापन पर सीसीटीवी लगाना, काम करने की जगह से घर तक आने-जाने का इंतजाम, रेस्ट रूम, अलग वा'रूम और लॉकर।</p> <p>3. नियोक्ता को काम की जगह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, रोक और निवारण) अधिनियम, 2013 के नियमों को पालन पक्का करना होगा, जिन्हें समय-समय पर बदला गया है।</p>
302	शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठान	दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 15 और 16	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार,

अशोक कुमार, सचिव (श्रम)

**LABOUR DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 24th November, 2025

**F.No.28/Addl.LC/Exemp./S&E,Act/2021/4304-4310.**—“In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops & Establishment Act, 1954 (Delhi Act No. 7) and in supersession of notification 28/Addl.LC/Exemp./S&E, Act/2021/2438 dated 07<sup>th</sup> August, 2025 issued by this Government, except as respects things done or omitted to have been done, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments further to amend the Schedule-I of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said Schedule under “Establishment etc.” after the existing entry at serial no. 300 the following entry shall be added, namely:-

<b>Entry No.</b>	<b>Description of Shops/establishments</b>	<b>Sections of Delhi Shops &amp; Establishments Act, 1954 under which exemption given</b>	<b>Conditions</b>
301	All Establishments except Liquor Shops	Section 14 of Delhi Shops & Establishments Act,1954 so far as it relates to the employment of women subject to the conditions mentioned in the column 4	(i) The employer shall obtain written consent of women employee for employment between 9.00PM to 7.00 A.M during summer season and between 8:00 PM to 8:00 AM during the winter season.
302	All shops and commercial establishments except Liquor Shops	Section 15 and 16 of Delhi Shops & Establishments Act,1954	(ii) The employer shall ensure safe working conditions such as installing CCTV in the shop or establishment, transportation from working place to home, rest room separate washroom and lockers. (iii) The Employer shall ensure compliance of the provisions of the Prevention of Sexual Harassment of Women at Work-Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 as amended from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Secy. (Labour)